

प्रेस नोट

थाना नवाबाद, जनपद झाँसी

दिनांक 07.10.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- थाना नवाबाद पुलिस द्वारा शातिर चोर छः घण्टे के अन्दर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के माल बरामद,
- गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 07.10.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा चोरी करने वाले शातिर चोर अभि० छोटू उर्फ हरनाथ पुत्र प्रताप राजपूत मूल निवासी ग्राम बसारी थाना टहरौली जिला झाँसी हाल निवासी गुमनावारा पिछोर थाना नवाबाद जिला झाँसी उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 567/26 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक अदद लाकेट(मंगलसूत्र) पीली धातु, एक अदद नाक की नथनी पीली धातु, एक जोड़ी कान की झूमकी पीली धातु बरामद किया। अभियुक्तगण को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 07.10.2026 को आवेदक श्री सन्तोष सविता पुत्र रामअवतार सविता निवासी ज्ञानोदय स्कूल के पास गुमनावारा थाना नवाबाद झाँसी की तहरीर के आधार पर अभि० द्वारा वादी घर में रात्रि में घुसकर सोने की एक जोड़ी झूमकी, एक लाकेट (मंगल सूत्र) दो अंगूठी चांदी की, चार बिछिया चांदी की, एक नथुनी सोने की व लड्डू गोपाल के श्रृंगार का समान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 567/26 धारा 305/331(4) BNS पंजीकृत किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नवाबाद त्वरित कार्यवाही करते हुये मुकदमा पंजीकरण के छः घण्टे के अन्दर आज दिनांक 07.10.2026 को मुकदमा उपरोक्त में नामित अभि० छोटू उर्फ हरनाथ पुत्र प्रताप राजपूत निवासी बसारी थाना टहरौली जनपद झाँसी को मुखबिर की सूचना पर मेडिकल बाईपास से बस चार्जिंग स्टेशन जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त -

1- छोटू उर्फ हरनाथ पुत्र प्रताप राजपूत मूल निवासी ग्राम बसारी थाना टहरौली जिला झाँसी हाल निवासी गुमनावारा पिछोर थाना नवाबाद जिला झाँसी उम्र करीब 28 वर्ष (गिर०)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

- 1) मु0अ0सं0 184/25 धारा 115(2)/85 BNS व ¾ डीपी एक्ट थाना बड़ागाँव जिला झांसी
- 2) मु0अ0सं0 567/26 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना नवाबाद झांसी

बरामदगी का विवरण -

चोरी किया गया माल एक अदद लाकेट(मंगलसूत्र) पीली धातु, एक अदद नाक की नथनी पीली धातु, एक जोड़ी कान की झूमकी पीली धातु

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रवि श्रीवास्तव थाना नवाबाद जनपद झाँसी
2. उ0नि0 अनुज यादव थाना नवाबाद जनपद झाँसी
3. उ0नि0 निखिल कुमार चौकी प्रभारी इलाइट थाना नवाबाद जनपद झाँसी
4. रि0का0 799 दीपक कुमार थाना नवाबाद जनपद झाँसी
5. रि0का0 804 राहुल गौतम थाना नवाबाद जनपद झाँसी